


आदेश


11-2017

प्रस्तुत वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विवादित जमीन से ही संबंधित वाद धारा-107 द0 प्र0 सं0 के तहत कार्यवाही चल रहा है। जिसका वाद सं0-67/2017 है। अतः धारा-144 द0 प्र0 सं0 के वाद को वापस लेने हेतु अनुरोध किया गया है।

वाद को वापस लेने के संबंध में उभय पक्ष के बहस को सुना। विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में स्वत्व को लेकर विवाद है। उभय पक्ष में शांति भंग न हो को लेकर धारा-107 द0 प्र0 सं0 के तहत कार्यवाही चल रहा है। अतः वाद में प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में धारा-144 द0 प्र0 सं0 के वापस आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अभिलेख में वाद की कार्यवाही को बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू।